कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंड़ल, कुर्था
(Email id-eeshlcdkurtha@gmail.Com)

पत्रांक 346 कुर्था, दिनांक 16/03/2026

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना
संख्या 02/2025–26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था अन्तर्गत नहर संचालन एवं रख–रखाव तथा प्रमंडलान्तर्गत चल रहे कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहन यथा स्कोर्पियों (ए०सी०) एवं बोलेरो/सुमो विक्टा (नन ए०सी०) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :–

वाहन की विवरणी

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	अद्द	वाहन का प्रकार	अवधि	दर (मासिक)
01	कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था	01	स्कोर्पियों (ए०सी०)	01 अप्रैल 2026 से 31.03.2027 तक कुल – 12 माह	
02	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल, कुर्था एवं शकुराबाद, शिविर – कुर्था	01	बोलेरो (नन ए०सी०)	01 अपैल 2026 से 31.03.2027 तक कुल – 12 माह	
03	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल, टिकारी एवं मऊ, शिविर – टिकारी	01	बोलेरो (नन ए०सी०)	01 अपैल 2026 से 31.03.2027 तक कुल – 12 माह	

1. कोटेशनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– 16.03.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 30.03.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 31.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में।

क्षितिज कुमार
16/3/26

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था

शर्ते निम्नवत् हैः–

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
3. वाहन मालिक/फर्म का वैध GST एवं PAN Card निबंधन होना अनिवार्य है।
4. वाहन के भुगतान पर नियामानुसार सभी प्रकार के करों यथा जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ताओं को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. वाहन का कागजात, रोड टैक्स, बीमा, फिटनेश आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेश प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
6. वाहन के चोरी या दुर्घटनाग्रस्त अथवा अन्य क्षति होन पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
7. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
8. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
9. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
10. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। क्रमांक (1) एवं (2) पर अंकित कार्यालयों हेतु वाहन कुर्था कार्यालय में तथा क्रमांक (3) पर अंकित कार्यालय हेतु वाहन टिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
11. वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की ये तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगें अगर वें ऐसा नहीं करते है तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 10 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 1, 3 एवं 5 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें। एक से अधिक समान न्यूनत्तम दर के कोटेशन दिनांक 30.03.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय कोटेशन दाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. वाहन का दर स्कोर्पियो (ए०सी०) के लिए रूपये 27900/– (सताईस हजार नौ सौ मात्र) प्रति माह एवं बोलेरो/सुमो विक्टा (नन ए०सी०) के लिए रूपये 21500/– (इक्कीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्धत न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।
13. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल करो एवं अन्य मदों की कटौती की जायेगी।
14. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन आमन्य कर दिया जाएगा।
15. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7469889736/6207419497 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह०/– 16/3/26

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था

पत्रांक 346

कुर्था, दिनांक 16/03/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि राज्यस्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने चाहेंगें।

ह०/- 16/3/26

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, कुर्था